बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–3/निदे0 (प्रचार–प्रसार)–42–09/2024–20

राज्य स्कीम

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक– 11/05/2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम मद से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016, अनु0 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007 तथा विभागीय योजनाओं के प्रावधानों की पुस्तिका का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, प्रचार–प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला आदि का आयोजन हेतु कुल ₹1,00,00,000/–(एक करोड़ रू0) मात्र की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

2–स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम मद में मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण– उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लधु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन–उप शीर्ष–0101– निदेशन और प्रशासन–मांग सं0–44–विषय शीर्ष–0101.26.01–विज्ञापन और प्रकाशन'' विपत्र कोड 44–2225010010101 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3–स्वीकृत राशि के आलोक में मुख्यालय एवं जिलों से मांग के अनुसार आवंटन विमुक्त किया जाएगा।

4–राज्य स्कीम मद से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016, अनु0 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007 तथा विभागीय योजनाओं के पुस्तिका का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, प्रचार–प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, कार्यशाला आदि का आयोजन तथा पोस्टर/पम्पलेट इत्यादि हेतु स्वीकृत राशि के लिए मुख्यालय स्तर पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5–इस योजना के तहत् वित्तीय नियमावली के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाएगा तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

6–जिला स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं मुख्यालय स्तर पर निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

7–इस राशि की स्वीकृति हेतु आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–3/निदे0 (प्रचार–प्रसार)–42–09/2024 के पृ0– /टि0 पर प्राप्त है।

8–स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत है।

विश्वासभाजन,

07.05.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3 / निदे0 (प्रचार–प्रसार)–42–09 / 2024 20 दिनांक– 11/05/2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी, सचिव कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी–3डी0, 4डी0, 5डी0 एवं 8डी0 / लेखा शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग / बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.08.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3 / निदे0 (प्रचार–प्रसार)–42–09 / 2024 20 दिनांक– 11/05/2026

प्रतिलिपि–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.08.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3 / निदे0 (प्रचार–प्रसार)–42–09 / 2024 20 दिनांक– 11/05/2026

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेव साईट (Web site) पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.08.26

सरकार के सचिव।